सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

13 Bhadra, 1942 (S)

No. 413

Ranchi, Friday, 4th September, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 50/2020 – State Tax

S.O. No. 68, Dated 04th September, 2020- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to be effective from the 01st day of April, 2020.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	**(1A)**	**(2)**	**(3)**
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent. of the turnover in the State or Union territory
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent. of the turnover of supplies of goods and services in the State or Union territory.".

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2020]
By the order of the Governor of Jharkhand

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28 -State Tax, dated the 20th June, 2017 and last amended vide notification No. 48/2020 - State Tax, dated the 04th September, 2020 published vide S.O. No. 66, dated the 04th September, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 50/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 68, दिनांक 04 सितम्बर, 2020- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 है ।
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवत्तृ होंगे ।

2. झारखण्ड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
3.

"तालिका

क्रम संख्या	**धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है**	**पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग**	**कर की दर**
(1)	**(1क)**	**(2)**	**(3)**
1.	धारा 10 की उपधारा(1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओ से, जो सरकार द्‌वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) मे निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधो के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी

4.	धारा 10 की उपधारा (2 क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2 ए) के तहत कर सदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।" ।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

टिप्पण: मूल नियम एस. ओ. सं. 28 - राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किये गए और एस. ओ. सं66 तारीख 04 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020- राज्य कर, तारीख 04 सितम्बर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 413 -- 50